W.R.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-4-2024	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री सी.पी. पाराशर अधिवक्ता प्रार्थी। श्री वी.पी. सिंह राजावत अधिवक्ता अप्रार्थी। –––– **<u>आदेश</u>** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद द्वारा प्रकरण सं0 39/2017 में पारित आदेश दिनांक 06–10–2019 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ने इस तथ्य को नहीं देखा कि भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–84 की पालना में राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो चुका है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एवं निगरानी खारिज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष पूर्व में उनके समक्ष लम्बित रहे प्रकरण सं0 01/2017 में पारित आदेश दिनांक 22–5–2017 द्वारा खारिज कर दिया गया है तो पुनः नये सिरे से प्रकरण को नहीं लाया जा सकता है अर्थात एक प्रकार से रिव्यू नहीं करवाया जा सकता। प्रार्थिया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राथमिक विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में क्या बिन्दु रहे इसका उल्लेख वर्तमान आपत्ति प्रार्थना पत्र में नहीं किया है इसलिए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र के पिथ एवं सब्सटेंस को समझे बिना मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने को जो आदेश पारित किया है, वह नॉन स्पीकिंग आदेश है। अधीनस्थ न्यायलय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण में प्रार्थी के मूल्यवान हक व अधिकार तय होने है। अप्रार्थीगण द्वारा एक ही बिन्दु बाबत अनुतोष को लेकर भिन्न भिन्न प्रकरण पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जाता रहा है जिसको समझे बिना अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तकनीकी आधार पर प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्ययालय को उक्त प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है क्योंकि भू प्रबंध अधिकारी का आदेश 18-02-1984 है, जो धारा 26(डी) के तहत उपखण्ड अधिकारी के समकक्ष होकर उनकी शक्तियां प्राप्त है तथा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी तहसीलदार के समकक्ष होता है। धारा 181 के अनुसार बंदोबस्त कार्यवाही समाप्त हो जाने पर भू-प्रबंध अधिकारी की समस्त शक्तियां कलक्टर को अन्तरित हो जाती है। इस प्रकार अब उक्त प्रकरण में भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-5-2017 अवैध आदेश है। जिसकी आड़ में समकक्ष अधिकारी द्वारा पुनः अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-02-84 से प्रकरण सहायक भू-प्रबंध अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को समझे बिना निगरानीधीन आदेश पारित किया है, जो विधि से परे जाकर पारित किया आदेश है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर द्वारा पारित आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 06–10–2023 निरस्त किया जाकर प्रार्थिया का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश पारित करें। 4– इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–1984 द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों के तहत् कार्यवाही कर निर्णय किया जाना शेष है। वर्तमान में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो जाने के पश्चात् उक्त शक्तियां जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी में समाहित हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक भू प्रबंध अधिकारी की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर को प्राप्त है इसलिए वर्तमान प्रकरण का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही अब किया जाना है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थिया जिनकू द्वारा समान तथ्यों के आधार पर पूर्व में भी प्राथमिक विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 02–02–2018 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जो निर्णय दिनांक 15–01–2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसके बावजूद भी प्रार्थिया द्वारा पुनः एक अन्य प्राथमिक आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 25–02–2020 को पेश किया गया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर द्वारा प्रकरण के सम्बन्धित समस्त तथ्यों का अंकन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित कर प्रार्थिया जिनकू देवी की प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–10–2023 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किया जावे। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने योग्य है। 5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम प्रकरण सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के समक्ष दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अधिकारी, सीकर ने दिनांक 18–7–1981 को निर्णय कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा एक अपील भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने निर्णय दिनांक 18–02–1984 द्वारा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर का आदेश दिनांक 18–7–1981 निरस्त कर प्रकरण निर्देशों सहित पुनः निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किया, परन्तु पत्रावली सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के यहां प्रेषित नहीं की गई। तत्पश्चात भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 18–02–1984 के विरूद्ध सुखदेवाराम ने सन् 2014 में द्वितीय अपील भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के यहां पेश की जिन्होंने निर्णय दिनांक 24–4–2017 द्वारा मियाद बाहर अपील पेश किये जाने के बिन्दु पर अपील खारिज कर भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 को बहाल रखा गया। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी एवं भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर की दोनों पत्रावलियां जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित कर दी गई। भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2017 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी सं0 2333/2017 पेश की गई, जो निगरानी दिनांक 13–6–2019 को विड्रो कर ली गई। उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुए ही प्रार्थी सुखदेवाराम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09–7–2015 द्वारा इस आधार पर खारिज किया है कि प्रकरण में द्वितीय अपील सं0 02/2014 न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर में विचाराधीन है। अतः उक्त आवेदन उनके न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 7– न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं भू–अभिलेख अधिकारी, सीकर के समक्ष सुखदेवाराम ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18–5–2017 को पेश कर निवेदन किया कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 18–7–1981 के विरूद्ध अपीलांट भुरड़ी एवं चिमना ने अपील माननीय न्यायालय में पेश की थी। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18–02–1984 को यह आदेश दिया गया कि **''फलतः प्रस्तुत अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का खण्डनाधीन निर्णय दिनांक 19–7–1981 को निरस्त किया जाता है। बंदोबस्ती रेकार्ड में प्रविष्टि फिलहाल मुताबिक राजस्व जमाबन्दी अंकित रहेगी। केस अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि स्व. बेगाराम के खाते की पूरी जांच करके तथा यह भी मालूम करके कि यह आराजी बेगाराम के पिता बींजाराम की थी अथवा बेगाराम की स्वअर्जित थी, एवं कब्जों तथा हक, हकूकों की जांच करते हुए मामले में फिर से निर्णय करें।''** भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–1984 के अनुसार प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करनी थी परन्तु सहवन से उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को नहीं भेजकर रिकार्ड रूम में भेज दी गई। इसलिए उपरोक्त पत्रावली रिकार्ड रूम से तलब की जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। सुखदेवराम द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने आदेश दिनांक 22–5–2017 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, धोद को उनके पास सहायक–भू–प्रबंध अधिकारी की शक्तियां निहित होने के आधार पर पक्षकारान को सूचित कर सुनवाई करने हेतु प्रेषित किया है। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थिया जिनकू द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थनापत्र पर उपखण्ड अधिकारी, धोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–10–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

8– हम धारा 181 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान को यहां उल्लेखित करना उचित समझते हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

> **181. भू.–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवेदन–पत्र तथा कार्यवाहियां जब भू–प्रबन्ध बन्द हो चुका हो–** जब धारा 142 के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र में भू–प्रबन्ध कार्यवाहियाँ, जब तक ऐसे क्षेत्र के लिए कोई स्थायी भू–प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे, जिलाधीश को हस्तान्तरित कर दी जावेगी जिसको उनके निर्णय के लिए भू–प्रबन्ध अधिकारी की शक्तियाँ होगी।''

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त होने पर स्थायी भू–प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त होने तक समस्त प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को स्थानांतरित किये जायेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। अपील संख्या 55/83 भूरडी बनाम सुखदेवा राम में भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 18–7–1981 को निरस्त कर प्रकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है कि स्व0 बेगाराम के खाते की पूरी जांच करें तथा यह भी मालूम करें कि यह आराजी बेगाराम के पिता बींजाराम की थी अथवा बेगाराम की स्व–अर्जित थी एवं कब्जों तथा हक–हकूकों की जांच करते हुए मामले में फिर से निर्णय करें। भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 अन्तिम है। उक्त निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है एवं निर्णय की पालना में अग्रिम कार्यवाही भी भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 22–5–2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, धोद द्वारा प्रारम्भ की गई है। प्रार्थिया जिनकू द्वारा दिनांक 02–8–2018 को भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रारिम्भक विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, धोद ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर निर्णय दिनांक 15–01–2020 द्वारा खारिज किया गया। प्रार्थिया जिनकू द्वारा दिनांक 25–02–2020 को एक और प्रारम्भिक विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये सभी उज्र एवं ऐतराजों का विस्तार से वर्णन करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–10–2023 द्वारा खारिज किया है। 9– यहां यह उल्लेखनीय है कि भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 के विरूद्ध अप्रार्थी सुखदेवाराम द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त के समक्ष अपील संख्या 02/14 प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 24–4–2017 द्वारा मियाद के बिन्दु पर निरस्त किया जाकर भू–प्रबन्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./5552/2023/सीकर जिनकू बनाम भंवरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी द्वारा पारित निर्णय 18–02–1984 को यथावत रखा है। सुखदेवाराम ने भू–प्रबन्ध आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–4–2017 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी सं0 2333/2017 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 13–6–2019 को विड्रो कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 अन्तिम हो चुका है। भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–1984 में दिये गये निर्देशों के तहत् कार्यवाही कर निर्णय किया जाना शेष है, जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, धोद के न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी में ऐसा कोई नया तथ्य उल्लेखित नहीं किया है जिसके आधार पर निगरानी के जरिये आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 10– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। 11– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	